

सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक: 633/सो.आ.नि.-3/503/2020
दिनांक: 06 जनवरी, 2021

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट निदेशालय,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
(गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, हापुड़ व कासगंज को छोड़कर),
उत्तर प्रदेश।

विषय:- कोविड-19 महामारी अवधि में महात्मा गाँधी नरेगा योजनान्तर्गत समवर्ती सोशल आडिट (Concurrent Social Audit) के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास के पत्रांक 295/सो.आ.नि.-3/507/2020 तथा सोशल आडिट निदेशालय के पत्रांक 296/सो.आ.नि.-3/503/2020 दिनांक 01-09-2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समवर्ती सोशल आडिट कराने हेतु निर्देश दिए गए हैं। समवर्ती सोशल आडिट के अन्तर्गत सभी कार्यों की प्रत्येक माह सोशल आडिट करने की व्यवस्था है, जिसके क्रम में समवर्ती सोशल आडिट का माह जनवरी से मार्च 2021 का कैलेण्डर तैयार कर प्रेषित किया जा रहा है।

2- प्रदेश में ग्राम पंचायतों की बड़ी संख्या तथा प्रत्येक निर्माणाधीन कार्य का माह में एक बार निरीक्षण करने के निर्देश को देखते हुए, वित्तीय वर्ष 2020-21 में इंगेज किए गए प्रशिक्षित टीम सदस्यों में से दो सदस्यों की एक टीम जिला विकास अधिकारी/जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर (DSAC) के दिशानिर्देशन में ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर्स (BSACs) द्वारा बनाई जाएगी, जिसमें यथासम्भव एक सदस्य पूर्व में सोशल आडिट अनुभव प्राप्त तथा एक नवचयनित सदस्य होगा। इन दो सदस्यों द्वारा प्रत्येक माह के बुधवार एवं शुक्रवार को कैलेण्डर में निर्धारित ग्राम पंचायतों में समवर्ती सोशल आडिट की जाएगी। सोशल आडिट की रिपोर्ट जिला विकास अधिकारी द्वारा प्रत्येक सोमवार को सोशल आडिट निदेशालय में अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

3- समवर्ती सोशल आडिट टीम को, कार्यस्थलों का सत्यापन करने हेतु कराए गए कार्यों एवं व्यय की गई धनराशि का विवरण एवं अभिलेखों की प्रतियाँ कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

4- टीम द्वारा ग्राम पंचायत में सभी निर्माणाधीन कार्यों की समवर्ती सोशल आडिट की जाएगी तथा देखा जाएगा कि मानक के अनुसार अभिलेखों का रखरखाव एवं निर्धारित नियमों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं।

5- टीम द्वारा यह भी देखा जाएगा कि श्रमिकों को प्राप्त होने वाली धनराशि अधिनियम के अनुसार उन्हें मिल रही है या नहीं।

6- टीम सदस्यों द्वारा आडिट रिपोर्ट तैयार कर BSAC को उसी दिन दी जाएगी, जिसकी एक प्रति BSAC द्वारा कार्यक्रम अधिकारी को तथा एक प्रति अगले कार्यदिवस को जिला विकास अधिकारी/जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर को उपलब्ध कराई जाएगी।

7- प्रत्येक टीम सदस्य को प्रति सोशल आडिट रू० 201/- का व्यवसायिक शुल्क देय होगा, जिसकी मांग प्रत्येक मासांत जिला विकास अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित किया जाएगा।

8- प्रत्येक DSAC एवं BSAC द्वारा आडिट तिथि को कम से कम एक ग्राम पंचायत का भ्रमण करके सोशल आडिट टीम को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा तथा भ्रमण की विस्तृत आख्या अलग से जिला विकास अधिकारी को प्रेषित की जाएगी। जिला विकास अधिकारी, DSAC/BSAC वार साप्ताहिक संकलित सूचना प्रत्येक सोमवार को सोशल आडिट निदेशालय को भी प्रेषित करें।

9- कार्यक्रम अधिकारी द्वारा समवर्ती सोशल आडिट में उठाए गए बिन्दुओं पर सुधारात्मक कार्यवाही तीन दिनों में कराते हुए अनुपालन आख्या अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक/उपायुक्त, मनरेगा को प्रेषित करते हुए उसकी एक प्रति जिला विकास अधिकारी को दी जाएगी।

10- सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक माह, समवर्ती सोशल आडिट के लिए गठित सोशल आडिट टीम द्वारा पूर्व के माह में सम्पन्न कराई गई ग्राम पंचायत को परिवर्तित करते हुए अन्य ग्राम पंचायतों में समवर्ती सोशल आडिट हेतु लगाया जाए, जिससे प्रत्येक बार टीम विकास खण्ड की भिन्न-भिन्न ग्राम पंचायतों का सोशल आडिट सम्पादित कर सके।

11- जारी किए गए समवर्ती सोशल आडिट विषयक आदेश की प्रति संबंधित खण्ड विकास अधिकारी/लाइन डिपार्टमेन्ट से सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी जिससे अभिलेख समय से प्राप्त हो सके तथा आडिट रिपोर्ट पर एक्शन टेकेन की कार्यवाही की समीक्षा हो सके।

12- समवर्ती सोशल आडिट के लिए फॉर्मेट की फोटो प्रतियां जिला विकास अधिकारी द्वारा तैयार कराकर टीमों को दी जाएगी, जिसके लिए धनराशि निदेशालय स्तर से उपलब्ध करा दी जाएगी।

13- यदि किसी विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायतों में निर्धारित तिथि को समवर्ती सोशल आडिट सम्पन्न नहीं हो पाती है तो जिला विकास अधिकारी सोशल आडिट की तिथि के अगले दिन कार्यक्रम निर्धारित कर समवर्ती सोशल आडिट सम्पन्न कराते हुए निदेशालय को भी अवगत करायेंगे।


14- समवर्ती सोशल आडिट प्रक्रिया शान्तिपूर्वक सम्पन्न होने हेतु आवश्यकता पड़ने पर सोशल आडिट टीम को सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।

समवर्ती सोशल आडिट के समय कोविड-19 के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा किया जाना

- (1) समवर्ती सोशल आडिट के लिए समुदाय से सम्पर्क के समय भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी सोशल डिस्टेंसिंग नार्म्स का पूर्णतया पालन किया जाएगा।
- (2) समवर्ती सोशल आडिट के समय प्रशासन/विभाग/प्राधिकारी द्वारा निर्गत किए गए निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन किया जाना अनिवार्य है।
- (3) भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय अथवा प्रदेश के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों/एडवाइजरी का पूर्णतया पालन किया जाना अनिवार्य है।
- (4) समवर्ती सोशल आडिट सम्पादित करने में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त नियमों व निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए, किसी भी परिस्थिति में प्रदेश शासन द्वारा महामारी के सम्बन्ध में निर्गत निर्देशों का अतिक्रमण न किया जाए।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार समवर्ती सोशल आडिट सम्पन्न करने हेतु जनपद के सभी सम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से आदेश निर्गत करने तथा समवर्ती सोशल आडिट में पाई गई कमियों पर समयबद्ध सुधारात्मक कार्यवाही हेतु निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- समवर्ती सोशल आडिट
कैलेण्डर 2020-21

भवदीय,

06/11/2021
(शरद कुमार सिंह)
निदेशक

पत्रांक— /सो0आ0नि0-3 / 503 / 2020 ,तददिनांक

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास (अनुभाग-7), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 2- महानिदेशक, दी0द0उपा0 राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बी0के0टी0, लखनऊ, उ0प्र0।
- 3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
- 4- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
- 5- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, (गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, हापुड़ व कासगंज को छोड़कर) उ0प्र0।
- 6- समस्त जिला विकास अधिकारी, (गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, हापुड़ व कासगंज को छोड़कर) उ0प्र0।
- 7- समस्त उपायुक्त, श्रम रोजगार, (गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, हापुड़ व कासगंज को छोड़कर) उ0प्र0।

(शरद कुमार सिंह)
निदेशक